न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 134/2022
जीसीएमएस नम्बर :– 2022/329

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1 डुंगाराम पुत्र देवाराम जाति रेगर निवासी रेगरों का बास जोजावर तहसील मा.ज. जिला पाली		1 पीथाराम पुत्र देवाराम, जाति रेगर, निवासी संत रविदास नगर, भदवासियां, के.यू.एफ. मण्डोर रोड़, जोधपुर 2 ग्राम पंचायत जोजावर जरिये सरपंच।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मो. शरीफ काजी।

–: निर्णय :–

दिनांक : 28/10/2024

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, जोजावर द्वारा मिसल संख्या 47/2021–22, प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 06.09.2021 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 49 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। वक्त बहस अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 अनुपस्थित होने से अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 सगे भाई है तथा अप्रार्थी संख्या 1 जोधपुर निवासरत है तथा मिसल में भी अप्रार्थी द्वारा अपना आधार कार्ड व राशन कार्ड जोधपुर का पेश है, जब अप्रार्थी द्वारा अपने दस्तावेज ही जोधपुर के पेश किये गये है तो अप्रार्थी का जोजावर में पैतृक निवास होना साबित ही नहीं होता, साथ ही अप्रार्थी पिता के समय से ही बाहर रहता है। अप्रार्थी ने प्रार्थी के निजी मकान को अपना पैतृक मकान बताकर विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। अप्रार्थी ने आवेदन शुल्क तथा नक्शा शुल्क ग्राम पंचायत में जमा नहीं करवाया, न ही मौका निरीक्षण हेतु तीन व्यक्तियों की कमेटी गठित की गयी तथा मौका कब देखा गया, यह स्थिति स्पष्ट नहीं है। जैर आराजी पर मौके पर बाड़ा है, कोई मकान नहीं है। प्रार्थी को मिसल की नकल मिलने के बाद मूल मिसल में बदलाव किया गया। आर्डरशीट व आवेदन में कांट–छॉट है। मिसल में आपत्ति पत्र जारी करने का कोई आदेश नहीं है एवं न ही चस्पानगी रिपोर्ट अंकित है। ग्राम पंचायत द्वारा नियमों को ताक में रख कर विधि विरूद्ध रूप से जैर निगरानी आज्ञा व पट्टा बनाने की कार्यवाही की है, जो विधि सम्मत नही है। अतः निगरानी स्वीकार करावे एवं जैर निगरानी आज्ञा व उसकी पालना में जारी पट्टा निरस्त करावे।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner

हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की श्रवणसुदा बहस पर मनन करते हुये पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत, जोजावर द्वारा मिसल संख्या 47/2021–22, प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 06.09.2021 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 49 के विरूद्ध पेश की है। वकील प्रार्थी ने मुख्य रूप से कथन किया कि जैर आराजी प्रार्थी की पुश्तैनी सम्पति है एवं ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी को मिसल की जो प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाई गयी, उसमें तथा न्यायालय हाजा में अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रेकर्ड में विरोधाभास है साथ ही मिसल में जगह जगह कांट–छांट कर रखी है। जिसके सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन करने पर पाया कि जैर निगरानी समस्त याचिकाओं में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 (1) के तहत जारी किये गये हैं। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में पट्टा जारी करने की प्रक्रिया विहित है, जिसके अनुसार नियम 145 के तहत पंचायत से कोई भी आबादी भूमि/छूटा हुआ भूखण्ड या भूमि की कोई पट्टी खरीदने का इच्छुक कोई व्यक्ति पंचायत को लिखित आवेदन, उसमें उसका ऐसा विवरण देते हुए प्रस्तुत करने के प्रावधान है, जो क्रय के लिये प्रस्तावित भूमि की पहचान के लिये पर्याप्त हो तथा आवेदन के साथ स्थल निरीक्षण के व्ययों के पेटे पच्चीस रूपये की राशि जमा करानी होगी तथा आवेदन के साथ स्थल का नक्शा संलग्न नहीं किया गया हो तो आवेदक नक्शा तैयार करने के लिये भी पच्चीस रूपये जमा करायेगा परन्तु हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत के समक्ष पट्टा जारी करवाने हेतु जो प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, उस पर कोई भी दिनांक अंकित नहीं है साथ ही प्रार्थना पत्र पर जो नक्शा अंकित किया हुआ है वह भी पश्चातवर्ती प्रतीत होता है।

इसके पश्चात नियम 146 के तहत मिसल कायम करने तथा मौका निरीक्षण हेतु तीन पंचों की कमेटी मनोनीत करने तथा कमेटी द्वारा 15 दिवस के भीतर मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के प्रावधान है परन्तु जैर प्रकरण में मिसल की समस्त आज्ञा एक निर्धारित प्रारूप में टाइपसूदा है। आज्ञासूची दिनांक 20.07.2021 जो कि प्रथम आदेशिका थी, उसमें सचिव को पत्रावली कायम कर नक्शा तैयार करने एवं तीन पंचों को मौका निरीक्षण किये जाने के आदेश जारी किये गये, किन्तु आज्ञासूची में केवल दो पंचों को नामित किया गया है और उस पर भी कांट–छॉट कर वाईटनर लगाया हुआ है। साथ ही पत्रावली के संलग्न मिसल की प्रमाणित प्रति एवं ग्राम पंचायत से प्राप्त मूल रेकर्ड के अवलोकन अनुसार यह सुस्पष्ट प्रतीत होता है कि मिसल की आज्ञा दिनांक 20.07.2021 में द्वितीय पंच श्री रावता राम का नाम पश्चातवर्ती अंकित किया गया है।

हस्तगत प्रकरण में आवेदक द्वारा नियम 145(3) के तहत स्थल निरीक्षण के व्यय पेटे 25/– रुपये जमा करवाये जाने थे, जो नहीं करवाये गये। इसके पश्चात नियम 146 के तहत पत्रावली कायम की जाकर तीन पंचों को स्थल निरीक्षण हेतु नामित किया जाना था, जो नियम 146(3) ''क से ड'' के बिन्दुओं पर रिपोर्ट

अति. जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner

प्रस्तुत करते, किन्तु इन प्रकरणों में उपरोक्त वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुए मनमर्जी की प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की गई, जो पट्टा जारी किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्नचिन्ह् लगाती हैं। साथ ही पंचों द्वारा जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उसमें भी मूलभूत तथ्यों का अभाव हैं। लिहाजा प्रकरण में पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह पंचायती राज नियमों में निहित प्रावधानों में नही है।

इसके अतिरिक्त नियम 147 के तहत अन्तिम विनिश्चिय करने एवं नियम 148 के तहत एक माह की अवधि के भीतर आपत्ति आमन्त्रित करने को नोटिस जारी कर प्रकाशित करने के प्रावधान है। नियम 148 के अधीन जारी सूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त आक्षेप के निस्तारण के प्रावधान नियम 149 के तहत प्रदत्त है। नियम 150 के तहत भूमि को नीलाम करने की प्रक्रिया विहित है। नियम 151 में नीलामी समिति प्रावधित है। नियम 152 में बाजार कीमत सम्बन्धी तथा नियम 153 में संदाय एवं पुनर्विक्रय करने के प्रावधान उल्लेखित है एवं नियम 154 के तहत विक्रय की पुष्टि करने के प्रावधान है। नियम 155 के तहत कब्जा सुपुर्द करने के प्रावधान है। नियम 156 के तहत प्राईवेट बातचीत द्वारा आबादी भूमि का अन्तरण करने के प्रावधान है। नियम 157 के तहत पुराने गृहों का विनियमितीकरण के प्रावधान है, जिसमें – (i) 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिये या 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहेतु हुये 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुये संनिर्मित क्षेत्रफल –(क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीखे से पूर्व, पचास वर्षो से अधिक पूर्व में संनिर्मित पुराने गृहों के लिये – रू. 100/– तथा (ख) 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षों के दौरान संनिर्मित पुराने गृहों के लिये – रू. 200/– जमा करवाने के पश्चात पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा। नियम 158 के तहत भूमियों का कमजोर वर्गो को आवंटन के प्रावधान है। नियम 159 के तहत भूमियों का रियायती कीमत पर आवंटन तथा नियम 160 के तहत अनुमोन के अध्यधीन अन्तरण और आवंटन के प्रावधान उल्लेखित है।

जैर निगरानी प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन करने पर यह भी पाया कि मिसल के संलग्न प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, समस्त आज्ञा सूची, मौका पर्चा, निरीक्षण प्रपत्र टाईपसुदा प्रारूप में प्रथमदृष्टया एक ही हस्तलेखनी से लिखे हुये प्रतीत होते है। ग्राम पंचायत ने आज्ञा सूची दिनांक 05.08.2021 के द्वारा आपत्ति आमंत्रित करने हेतु निर्देशित किया गया परन्तु आपत्ति इश्तिहार पत्रावली के संलग्न ही नहीं है अर्थात् प्रकरण में ग्राम पंचायत ने आपत्ति इश्तिहार जारी किया है अथवा नहीं यह भी पत्रावली से स्पष्ट नहीं हो रहा है, यदि आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, उसके सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त हुई अथवा नहीं ? यदि आपत्ति प्राप्त हुई, तो उक्त आपत्ति का क्या निस्तारण किया गया ? यह कहीं भी स्पष्ट नहीं हैं। प्रकरण में अप्रार्थी का कब्जा सत्यापन हेतु गवाहों के बयान ही नहीं लिये गये है, इससे यह स्पष्ट होता है कि पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टे जारी किये जाने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 145 से 157 में निहित प्रावधानों का

अति. जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner

पालन नहीं किया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई है। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है। इस प्रकार प्रकरण में प्रश्नगत आराजी पर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया गया है, वह विधि विरूद्ध होने के कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत, जोजावर द्वारा मिसल संख्या 47/2021–22, प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 06.09.2021 एवं उसकी पालना में पीथाराम पुत्र देवाराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 49 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ ग्राम पंचायत का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 28/10/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner